प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकारित

आपराधिक अपील सं. 1815 वर्ष 2019
विशेष अनुमति याचिका (आ.)सं. 5326 वर्ष 2019 से उद्भूत

सईदा खातून अर्शी

.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

निर्णय

न्यायमूर्ति डॉ.धनंजय वाई. चन्द्रचूड़

1. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के 12 अप्रैल 2019 दिनांकित एक निर्णय से उद्भूत है। उच्च न्यायालय ने, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ("सीआरपीसी) की धारा 482 के अन्तर्गत दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकृति देते हुए और सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दूसरे प्रत्यर्थी को तलब करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश – फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1, मुरादाबाद द्वारा पारित 29 जनवरी 2019 दिनांकित आदेश को अपास्त कर दिया।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2. अपीलार्थी जूही अर्शी की मां है, जिनकी मृत्यु 10 जून 2017 की सुबह तड़के अपने ससुराल में हुई थी। दूसरा प्रत्यर्थी, जो मृतक का पति था, पर आरोप है कि वह घटना के दिन ससुराल में रहने वाला एकमात्र अन्य व्यक्ति था। अपीलार्थी ने 12 जून 2017 को पुलिस स्टेशन मझोला, जिला मुरादाबाद में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफआईआर") दर्ज कराने का दावा किया है। अपीलार्थी के अनुसार,उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप पर अंततः 14 जून 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी की विषयवस्तु में अभिलिखित था कि:

> "अपीलार्थी ने अपनी बेटी जूही का विवाह लगभग 9 साल पहले अकरम पुत्र श्री कासिम निवासी मोहल्ला रहमत नगर, छप्पर वाली मस्जिद थाना कटरा, मुरादाबाद के साथ की थी। करीब तीन साल पहले अकरम ने मुरादाबाद के आजाद नगर थाना मझोला में एक एमआईजी–169 मकान बनवाया था। मेरी बेटी पिछले 3 साल से अपने पति अकरम के साथ रह रही थी और इसी घर में अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। 9/10/6/2017 को रात 3 बजे मेरे दामाद ने फोन पर जानकारी दी कि जूही ने फांसी लगा ली है। मैं अपने पति और बेटे के साथ तुरंत आजाद नगर में अपने दामाद के घर पहुंची, जहां हमने देखा कि मेरी बेटी का शव फर्श पर पड़ा है और चैनल से एक कपड़ा लटका हुआ है। जूही के शव को देखकर मैं, मेरे पति और मेरे बेटे के होश उड़ गए और इससे पहले कि हम अपने और सोच पाते, इसी बीच रिश्तेदारों ने मेरी बेटी जूही को स्नान कराया और 10.06.2017 को लगभग दोपहर में 1.30 बजे आजाद नगर कब्रिस्तान में दफना दिया। सामान्य होने पर जब मैंने अपनी बेटी जूही के शव की तस्वीरें देखीं तो उसके शरीर पर गर्दन, हाथ और पैरों पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी हत्या कर दी गई है इसलिए जरूरी है कि जूही के शव को कब्र से निकालकर जांच की जाए और पोस्टमार्टम किया जाए ताकि हत्यारे तक पहुंच सके। इसलिए महोदय से प्रार्थना है कि आवेदक की रिपोर्ट दर्ज कर विधिी कार्रवाई की जाए और जूही के शव को आजाद नगर कब्रिस्तान से निकाला जाए और उसका पोस्टमॉर्टम किया जाए।"

3. 14 जून 2017 को एक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं. 654 वर्ष 2017 दर्ज किया गया। आवेदक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद को प्रस्तुत एक आवेदन के आधार पर उसकी बेटी के शव को 19 जून 2017 को कब्र से निकाला गया और पंचनामा के बाद, पोस्टमार्टम किया गया। हालाँकि,मृत्यु के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कारण का पता नहीं चल सका क्योंकि मृत्यु की तारीख और मृतक को दफनाए हुए नौ दिन बीत चुके थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अभिलिखित है कि:

> "शरीर उन्नत अपघटन अवस्था में है, त्वचा छिल गई है, दुर्गंध मौजूद है, आँखें उभरी हुई हैं, जीभ बाहर निकली हुई है, नाखून और कान ढीले हैं, चेहरा फूला हुआ है, पेट फूला हुआ है, मस्तिष्क द्रवित है।"

4. शव को एक बार फिर से 1 जुलाई 2017 को निकाला गया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम किया गया। मेडिकल बोर्ड ने पहले के पोस्टमार्टम के निष्कर्षों की पुष्टि की कि शरीर सड़न के एक उन्नत चरण में थी। 12 सितंबर 2017 को, मनोज श्रीवास्तव के नाम से एक व्यक्ति के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था, जिस पर जूही अर्शी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है और इस तरह भारतीय दण्ड संहिता 1860 ("आईपीसी") की धारा 306 के तहत अपराध किया है। 21 अगस्त 2018 को अपर सत्र न्यायाधीश – फास्ट ट्रैक कोर्ट – 1, मुरादाबाद के समक्ष विचारण प्रारंभ हुआ।

5. 26 सितंबर 2018 को मनोज श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति के विरूद्ध आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप विरचित किये गए और अपीलार्थी को विचारण के दौरान साक्ष्य देने के लिए समन किया गया।

6. अपीलार्थी ने 5 अक्टूबर 2018 को पीडब्लू–1 के रूप में साक्ष्य के रूप में गवाही दी। अपने साक्ष्य के दौरान, अपीलार्थी ने कहा कि उसकी बेटी की शादी 2007 में दूसरे प्रत्यर्थी से हुई थी। अपीलार्थी ने बयान दिया कि शादी के बाद , दूसरा प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने एक घर की मांग की और उसकी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। अपीलार्थी का कथन था

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कि अपनी पुत्री की शादी को टूटने से बचाने के लिए उसने अपनी पुत्री और दूसरे प्रत्यर्थी को आजाद नगर में मकान बनाकर एक भूखंड दिया था। अपीलार्थी ने कहा कि जब भी उसकी बेटी अपने मायके आती थी, तो वह यह उल्लेख करती थी कि कैसे उसके पति, ससुर, सास और सौतेले भाई के साथ–साथ उसके दोस्त (उनमें से मनोज श्रीवास्तव) उसे यह कहकर परेशान करते थे कि उसके माता–पिता ने एक छोटा सा मकान दिया है। अपीलार्थी ने कहा कि 9/10 जून 2017 की रात्रि को लगभग 3:00 बजे, दूसरे प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के बेटे को फोन करके कहा कि जूही अर्शी ने खुद को फांसी लगा ली है। अपीलार्थी ने बयान दिया कि वह, उसका पति और बेटा अपनी बेटी के घर आजाद नगर पहुंचे। अपने बयान के दौरान, अपीलार्थी ने इस प्रकार कहा:

> "यह खबर सुनने के बाद मैं, मेरे पति और मेरा बेटा शोएब अपनी बेटी के घर आजाद नगर पहुंचे, वहां हमने देखा कि मेरी बेटी का शव फर्श पर पड़ा था और एक दुपट्टा (कपड़ा) चैनल से लटका हुआ था। बेटी का शव देखकर हम पूरी तरह से बेसुध हो गए और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, मेरे दामाद और उनके रिश्तेदारों ने शव को स्नान कराया और 10.06.2017 को दोपहर में आजाद नगर कब्रगाह में दफना दिया। दफनाने के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपनी बेटी जूही अर्शी के शव की तस्वीरें देखीं। मेरी बेटी जूही अर्शी के शरीर पर चोट के निशान उसकी गर्दन, हाथ और पैर पर साफ दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है। 12.06.2017 को मैंने थाना मझोला को हत्या के संबंध में एक टाइप की गई रिपोर्ट दी। मैंने उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे। गवाह ने फाइल में मौजूद रिपोर्ट की पहचान पेपर सं. 4/3 के रूप में की। उसने रिपोर्ट पढ़ी और उसे उसी रिपोर्ट के रूप में सत्यापित किया जो उसने थाना मझोला को दी थी। रिपोर्ट प्रदर्श क–1 के रूप में अंकित है। मैंने इस घटना की शिकायत उच्चाधिकारियों से भी की थी जिनके आदेश पर मेरी बेटी के शव को 9 दिन बाद कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम किया गया. चूंकि मेरे दामाद अकरम के बहुत ऊंचे संबंध हैं और वह एक चालाक व्यक्ति है, इसलिए वह पुलिस के साथ मिलीभगत करने में कामयाब रहा और उसने अपना नाम निकलवा दिया।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

7. 5 अक्टूबर 2018 को, अपीलार्थी (पीडब्लू–1) के सारवान साक्ष्य के आधार पर सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दूसरे प्रत्यर्थी को विचारण का सामना करने के लिए समन करने के लिए एक आवेदन[1] दिया गया क्योंकि वह अपनी पत्नी की हत्या के अपराध में शामिल प्रतीत होता था।

8. 6 दिसंबर 2018 को, अपीलार्थी से जिरह की गई। प्रतिपरीक्षा में, अपीलार्थी ने इस प्रकार अपना पक्ष रखा:

> "घटना के समय मेरी बेटी जूही की शादी को 9 से 10 साल हो चुके थे। मेरी बेटी की कोई संतान नहीं थी। बच्चा न होने की वजह से ससुराल वाले उसे परेशान करते थे, जूही कहती थी कि इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं। बहू के ससुराल वाले घर की मांग करते थे। घटना वाले दिन शाम को मेरी बेटी और दामाद हमारे घर आए थे और रात को खाना खाकर करीब 10 बजे चले गए। उस समय भी मेरी बेटी जूही ने मुझे बताया था कि उसका पति आदि उसे परेशान करता था। 3 बजे हम *सहरी* (रमज़ान के दौरान सुबह का भोजन) की तैयारी कर रहे थे, जब मेरे दामाद अकरम ने फोन किया कि आपकी बेटी ने फांसी लगा ली है। हम 10 मिनट के भीतर घटना स्थल, घर पहुंच गए। घर में मेरा दामाद अकरम मौजूद था और गेट खुला था। अकरम के अलावा वहां और कोई नहीं था। मेरी बेटी की लाश फर्श पर पड़ी थी और अकरम सोफे पर बैठकर रोने का नाटक कर रहा था. मेरी बेटी और दामाद का कमरा पहली मंजिल पर था। उस घर में सिर्फ मेरी बेटी और दामाद रहते थे। जब मैं घटना स्थल पर पहुंची तो वहां कोई और मौजूद नहीं था लेकिन इससे पहले कि हम रोने और चिल्लाने लगे बाकी लोग आ गए। उस समय मैं बहुत परेशान थी जिसके कारण मैं अपनी बेटी के शरीर पर चोट के निशान नहीं देख सकी। बाद में मैंने तस्वीरों में देखा कि मेरी बेटी की गर्दन, हाथ और पैर पर चोट के निशान बांधने के हैं। जब मैं पहुंची तो फर्श बिल्कुल साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे फर्श साफ किया गया हो। मैंने अपनी बेटी को सांस देने की कोशिश की, उसके मुंह से दुर्गंध आ रही थी। मौके पर एक बोतल मिली जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कोई सुसाइड नोट आदि मौजूद नहीं था। मैं घटना की तारीख से 10 दिन बाद अपने घर लौट आयी। इस घटना की रिपोर्ट मेरे द्वारा थाना मझोला में दर्ज कराई गई थी। मेरी बेटी को उसी दिन दफनाया गया था। अकरम के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। घरेलू सामान में से कुछ भी गायब नहीं पाया गया और न ही घर में बिखरा हुआ पाया गया, जो यह संकेत दे सकता कि चोरी आदि की गई थी। "

1

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

9. 29 जनवरी 2019 को, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आवेदन की अनुमति दी और सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दूसरे प्रत्यर्थी को समन किया। आदेश निम्नलिखित परिस्थितियों पर निर्भर करता था जो अपीलार्थी (पीडब्लू–1) और उसके बेटे, पीडब्लू–2 शोएब राजा के साक्ष्य से उभरे थे:

(i) 9 और 10 जून 2017 की दरमियानी रात के दौरान जब घटना हुई, दूसरा प्रत्यर्थी, जो मृतक का पति था, मृतक के साथ घर में मौजूद एकमात्र व्यक्ति था;

(ii) फोन पर सूचित किए जाने पर, जब मृतक के माता–पिता घटना स्थल पर पहुंचे, तो दूसरा प्रत्यर्थी मृतक के शव के साथ अकेला था;
(iii) चूंकि मृतक की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर थी, इसलिए यह असंभव था कि वह 240 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक चैनल से खुद को लटका सके, खासकर जब पास में कोई स्टूल नहीं पाया गया;
(iv) या तो मृतक को फांसी पर लटका दिया गया था या घटना स्थल पर भौतिक परिवर्तन किए गए थे;
(v) जांच के दौरान, दूसरे प्रत्यर्थी ने शुरू में जांच अधिकारी को खुद का नार्कोएनालिसिस परीक्षण कराने के लिए अपनी सहमति दी, लेकिन जब जांच अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया, तो दूसरे प्रत्यर्थी ने परीक्षण के लिए सहमत होने से इनकार कर दिया;
(vi) हालांकि मृतक की अप्राकृतिक मृत्यु हुई, दूसरे प्रत्यर्थी ने पुलिस को सूचित नहीं किया और उसका अंतिम संस्कार जल्दबाजी में किया गया;
(vii) हालांकि जिला मजिस्ट्रेट के 19 जून 2017 और 30 जून 2017 दिनांकित आदेशों के तहत, मृतक के शरीर को दो मौकों पर निकाला गया था, लेकिन यह सड़न के एक उन्नत चरण में था;
(viii) परीक्षण के दौरान, शरीर, गर्दन और हाथों पर "संलग्न प्रश्नगत तस्वीरों में" चोट के निशान देखे गए;

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ix) कोई दाबकारी चिह्न नहीं देखा गया था और मृतक के शरीर पर इस तरह के चोट के निशान कैसे आये, यह केवल दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा समझाया जा सकता था;
(x) घटना स्थल को अस्त–व्यस्त पाया गया; तथा
(xi) साक्ष्य अधिनियम 1872 ("साक्ष्य अधिनियम") की धारा 103 और 114 के प्रावधानों के तहत, 9/10 जून 2017 की रात के दौरान हुई घटनाएं दूसरे प्रत्यर्थी के विशेष ज्ञान के भीतर थीं।

10. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने, **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य**[2] ("हरदीप सिंह") के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"इन सभी परिस्थितियों का समग्र रूप से साक्ष्यिक मूल्य है और ये आरोप विरचित करने के लिए आवश्यक सामग्री से अधिक प्रतीत होती हैं और यदि खंडन नहीं किया जाता है, तो प्रस्तावित आरोपी को अपराध का दोषी पाया जा सकता है।"

11. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने नोट किया कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी को समन करते समय, साक्ष्यों की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि यदि इसका खंडन न किया जाए, तो आरोपी को अपराध का दोषी ठहराया जाना चाहिए। यह मानते हुए कि जो साक्ष्य पेश किए गए थे, वे इस तरह के थे, दूसरे प्रत्यर्थी को धारा 319 के तहत समन किया गया था।

12. द्वितीय प्रत्यर्थी ने विद्वान विचारण न्यायाधीश के 29 जनवरी 2019 दिनांकित आदेश को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन में चुनौती दी। 12 अप्रैल 2019 दिनांकित एक निर्णय के द्वारा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आवेदन की अनुमति दी और समन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि:

2

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(i) मनोज श्रीवास्तव के विरूद्ध आईपीसी की धारा 306 के तहत एक अपराध के लिए विचारण लंबित था। धारा 306 के तहत अपराध के लिए दूसरे प्रत्यर्थी को फंसाने के लिए न तो आरोप में बदलाव किया गया था और न ही कोई साक्ष्य दिया गया था;

(ii) विचारण न्यायालय केवल मौत के कारण के रूप में संभावनाओं की खोज करने की कवायद में लगा था, हालांकि, इसके समक्ष विशेष मामले में धारा 306 के तहत अपराध के लिए मनोज श्रीवास्तव का अभियोजन शामिल था; तथा

(iii) धारा 319 के तहत दूसरे प्रत्यर्थी को समन करने के लिए कोई 'मजबूत या अन्य संतुष्टि' अभिलिखित नहीं की गई।

13. उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित, अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय का रुख किया।

14. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अंदलीब नकवी का कथन है कि:

(i) अपर सत्र न्यायाधीश ने *हरदीप सिंह* के मामले में संविधान पीठ के फैसले के आधार पर विधि का सही मानक लागू किया और इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की कसौटी पर पीडब्लू–1 के साक्ष्य का मूल्यांकन किया;

(ii) पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 के साक्ष्य स्पष्ट रूप से इस प्रकृति के हैं कि यदि खण्डन नहीं किया गया तो प्रस्तावित आरोपी को अपराध का दोषी पाया जा सकता है;

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(iii) धारा 319 के तहत समन जारी करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा उल्लिखित प्रत्येक परिस्थिति प्रासंगिक सामग्री का गठन करती है;

(iv) उच्च न्यायालय ने, विचारण न्यायालय की टिप्पणियों को विस्थापित किए बिना, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन पर समन आदेश में गलती से हस्तक्षेप किया;

(v) अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश धारा 397 के तहत पुनरीक्षण योग्य था और इसलिए धारा 482 के तहत याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था;

(vi) धारा 319 के तहत, यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तावित आरोपी को केवल उसी अपराध के लिए बुलाया जाना चाहिए जिसके साथ अन्य आरोपी आरोपित हैं; यह प्रावधान इस आशय का है कि "न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जिसे वह किया हुआ प्रतीत होता है";

(vii) पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 के सारवान साक्ष्य इंगित करते हैं कि:

क) दूसरा प्रत्यर्थी जो मृतक का पति था, घर में मौजूद एकमात्र व्यक्ति था जब जूही अर्शी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई ;

ख) दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा घटना की तारीख पर या उसके बाद अप्राकृतिक मौत के बारे में पुलिस को सूचित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था; तथा

ग) दूसरे प्रत्यर्थी ने मृतक के शव को दफनाने में जल्दबाजी की। परिणामस्वरूप, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का साक्ष्य का भार दूसरे प्रत्यर्थी पर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पड़ता है जो उस घर का एकमात्र अन्तःवासी था जहां अपराध किया गया था (*गजानन दशरथ खराटे बनाम महाराष्ट्र राज्य* [3]);

(viii) शुरू में, पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से हिचक रही थी। प्राथमिकी जो 12 जून 2017 को दायर की गई थी, अंततः 14 जून 2017 को पंजीकृत की गई। जांच के दौरान, पीडब्ल्यू–2, जो मृतक का भाई है, ने मृतक की तस्वीरों के प्रिंट सौंपे, जिसमें उसके शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे; तथा

(ix) उपरोक्त परिस्थितियों में, जब अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 319 के तहत दूसरे प्रत्यर्थी को समन करने के लिए ठोस कारण प्रस्तुत किए गए थे, उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में आदेश को रद्द करने में स्पष्ट रूप से गलती की है।

15. दूसरी ओर,विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे जो दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित हुए, का कथन है:

(i) कार्यवाही के चरण को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग एक असाधारण स्थिति में किया जा सकता है जहां साक्ष्य सामग्री आरोप तय करने के लिए आवश्यक सामग्री से अधिक है और इस तरह की है कि यदि इसका खंडन नहीं किया जाता है, तो प्रस्तावित आरोपी को अपराध का दोषी पाया जा सकता है;

(ii) घटना के चार दिन बाद अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में, दूसरे प्रत्यर्थी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया था;

3

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(iii) 19 जून 2017 की पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी शामिल नहीं है क्योंकि शरीर सड़न के एक उन्नत चरण में पाया गया था;

(iv) सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था जिस पर संज्ञान लिया गया था। पुलिस द्वारा जांच के बाद, दूसरे प्रत्यर्थी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिलने के बाद अपीलार्थी द्वारा कोई विरोध याचिका दायर नहीं की गई;

(v) धारा 319 की भाषा को ध्यान में रखते हुए, दूसरे प्रत्यर्थी को समन किए जाने पर उसी अपराध के लिए विचारण किया जाना चाहिए, जिस पर धारा 306 के तहत मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए सह–अभियुक्त का किया गया;

(vi) धारा 319 के तहत शक्ति के प्रयोग को साक्ष्य करने के लिए, न्यायालय के समक्ष मजबूत और पुख्ता साक्ष्य मौजूद होना चाहिए। वर्तमान मामले में:

क) जब आरोप पत्र दायर किया गया था तब अपीलार्थी द्वारा कोई विरोध याचिका दायर नहीं की गई थी; तथा

ख) पीडब्लू–1 की जिरह से पता चला है कि बयान के भौतिक पहलुओं का उल्लेख धारा 161 के तहत पहले के बयान में नहीं किया गया था;

(vii) चाहे वह धारा 397 के तहत संशोधन या धारा 482 के तहत एक याचिका के माध्यम से हो, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास थी और *पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट*[4] के

4

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मामले में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में गलती नहीं की।

16. पक्षों की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, इस न्यायालय को यह विनिश्चय करना है कि क्या विचारण न्यायालय धारा 319 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में और परीक्षण के दौरान पीडब्ल्यू –1 और पीडब्ल्यू –2 द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दूसरे प्रत्यर्थी को समन में सही था।

17. विरोधी कथनों का आकलन करने में, सीआरपीसी की धारा 319 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा:

"319.अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति– (1) जहाँ किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(2) जहाँ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहां पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार, गिरफ्तार या समन किया जा सकता है।

(3) कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है।

(4) जहाँ न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है, वहां

(क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारंभ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा;

(ख) खंड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था जिस पर जांच या विचारण प्रारंभ किया गया था।"

18 *हरदीप सिंह* के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय धारा 319 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करता है। उसका पालन करते हुए " यह न्यायालय का कर्तवव्य है कि वह वास्तविक अपराधी को दंडित करके न्याय करे।", न्यायालय ने कहा :

"13...जहां जांच एजेंसी किसी भी कारण से वास्तविक दोषियों में से एक को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध नहीं करती है, न्यायालय उक्त आरोपी को विचारण का सामना करने के लिए बुलाने में शक्तिहीन नहीं है।"

इस कर्तव्य की व्याख्या करते हुए संविधान पीठ ने धारित किया:

"18. यह नहीं माना जा सकता कि विधायिका ने सभी परिस्थितियों की कल्पना करने की होगी और इसलिए, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधायिका द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को पूर्ण प्रभाव दे ताकि उसमें ऐसी कोई भी स्थिति को शामिल किया जा सके, जिसका अपराध का विचारण करते समय न्यायालय को सामना करना पड़ सकता है ताकि ऐसा व्यक्ति जिसका विचारण

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किया जाना चाहिए,उसकी सहभागिता की संभावना,जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से एकत्रित की जा सकती है, के बावजूद सूचीबद्ध न होने के कारण बच निकले।

19. न्यायालय न्याय का एकमात्र स्थल है और विधि के शासन को बनाए रखने के लिए उस पर एक कर्तव्य डाला गया है और इसलिए, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में न्यायालयों की ऐसी शक्तियों के अस्तित्व से इनकार करना अनुचित होगा जहां असली आरोपी का, कभी–कभी, जांच और/या अभियोजन एजेंसी के साथ छेड़छाड़ करके बच निकलना असामान्य बात नहीं है। विचारण से बचने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि आरोपी कई बार जांच या पूछताछ के स्तर पर भी खुद को दोषमुक्त करने का प्रयास करता है, भले ही वह अपराध के कारित किये जाने से जुड़ा हो। ”

19. धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले न्यायालय की संतुष्टि के संबंध में, संविधान पीठ ने धारित किया:

"105. धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग केवल उन मामलों में प्रयोग किया जाना है जहां मामले की परिस्थितियों से ऐसा करना अपेक्षित हो। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। *केवल तभी जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय के सामने पेश किए गए साक्ष्यों से मजबूत और पुख्ता साक्ष्य मिलते हैं कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए न कि आकस्मिक और लापरवाह तरीके से।*

106. इस प्रकार, हम मानते हैं कि हालांकि न्यायालय के सामने पेश किए गए साक्ष्यों से केवल एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जरूरी नहीं कि जिरह के आधार पर परीक्षण किया जाए,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इसके लिए उसकी संलिप्तता की संभावना से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। जिस कसौटी को लागू किया जाना है वह प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है जैसा कि आरोप तय करने के समय प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम कि यदि साक्ष्य का खंडन न हो तो दोषसिद्धि हो जाएगी। इस तरह की संतुष्टि के अभाव में, न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 319 में " यदि साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो आरोपी नहीं है, कोई अपराध नहीं किया है," शब्दों के प्रयोग से उपबंध करने का उद्देश्य इन शब्दों से स्पष्ट है,"जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है।" इसमें प्रयुक्त शब्द ये नहीं हैं कि "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता हो।" इसलिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत कार्य करने वाले न्यायालय के लिए आरोपी के दोष के बारे में राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।" (प्रभाव वर्धित)

20 *हरदीप सिंह* के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्तों को इस न्यायालय के पश्चातवर्ती फैसलों में अलग–अलग तथ्य परिस्थितियों में लागू किया गया। *बाबूभाई भीमाभाई बोखिरिया बनाम गुजरात राज्य* [5] के मामले में, विचारण न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति के हाथों मौत की आशंका जताते हुए मृतक द्वारा छोड़े गए एक लिखित नोट के आधार पर धारा 319 के तहत आरोपी व्यक्ति को समन किया था। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की। इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए कहा कि मृतक द्वारा

5

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लिखा गया नोट साक्ष्य में अस्वीकार्य था और धारा 319 के तहत शक्तियों के प्रयोग की अनुमति देने वाला नहीं माना जा सकता था।

21. *बृजेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य*[6] में, परिवादी द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों के आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष उन व्यक्तियों को समन किया गया जो प्राथमिकी में नामित थे, लेकिन आरोप पत्र में जिनका नाम नहीं था। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए कहा कि पुलिस जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति अपराध स्थल से बहुत दूर पाए गए थे और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अभिलिखित बयान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 319 के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग हेतु पर्याप्त साक्ष्य का गठन नहीं करते।।

22. *राजेश बनाम हरियाणा राज्य*[7] के मामले में, विचारण न्यायालय ने दो व्यक्तियों की हत्या में उनकी विशिष्ट भूमिका के संबंध में परिवादी और एक प्रत्यक्षदर्शी के बयानों के आधार पर धारा 319 के तहत चार व्यक्तियों को समन किया था। उच्च न्यायालय ने आरोपियों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और माना कि विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी और प्रत्यक्षदर्शी के बयान "साक्ष्य" थे, जिसके आधार पर आरोपी व्यक्तियों को विचारण के लिए समन किया जा सकता था।

23. *एस मोहम्मद इस्पहानी बनाम योगेंद्र चांडक*[8] के मामले में, विचारण न्यायालय ने धारा 319 के तहत उन लोगों को बुलाने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया, जिनका नाम एफआईआर में था लेकिन चार्जशीट में नहीं था। उच्च

6
7
8

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायालय ने धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज एक बयान के आधार पर विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपी व्यक्तियों को विचारण के लिए समन किया। इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए धारा 319 के तहत न्यायालय की शक्तियों पर विचार किया:

> "35. इस बात को रेखांकित करने की आवश्यकता है कि जब परिवादी द्वारा प्राथमिकी में किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, लेकिन पुलिस, जांच के बाद, उस व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं पाती है और उसे आरोपित किए बिना आरोप पत्र दायर करती है, तो न्यायालय शक्तिहीन नहीं है, और समन के चरण में, यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति को आरोपी के रूप में बुलाया जाना चाहिए, भले ही उसका नाम चार्जशीट में न हो, तो वह ऐसा कर सकता है। उस स्तर पर, परिवादी को एक विरोध याचिका दायर करने का भी मौका दिया जाता है, जिसमें विचारण न्यायालय से अन्य व्यक्तियों को भी बुलाने का आग्रह किया जाता है, जिनका नाम प्राथमिकी में था, लेकिन आरोप–पत्र में शामिल नहीं किया गया था। एक बार उस चरण के बीत जाने के बाद भी न्यायालय सीआरपीसी की धारा 319 के आधार पर शक्तिहीन नहीं है। हालाँकि, यह धारा तब शुरू हो जाती है जब विचारण के दौरान प्रस्तावित आरोपी के विरूद्ध कुछ साक्ष्य सामने आते हैं। "

राजेश बनाम हरियाणा राज्य (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि न्यायालय, धारा 319 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उस मामले में भी शक्तिहीन नहीं है, जहां विचारण न्यायालय से अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ उन लोगों को भी,जिनका नाम प्राथमिकी में है लेकिन आरोप–पत्र में पक्षकार नहीं बनाए गये हैं, समन जारी करने हेतु आग्रह करने वाली परिवादी द्वारा दायर की जाने वाली विरोध याचिका दायर करने की स्थिति बीत चुकी है।

24. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी (पीडब्ल्यू–1) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में अभिलिखित है कि 9/10 जून 2017 की दरम्यानी रात को, दूसरा प्रत्यर्थी, जो

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उसका दामाद था, ने उसे फोन पर सूचित किया कि जूही अर्शी ने फांसी लगा ली थी। अपीलार्थी ने कहा कि घर पहुंचने पर जब उसने अपनी मृत बेटी का शव फर्श पर देखा तो वह होश खो बैठी। उसने कहा कि दूसरे प्रत्यर्थी और उसके रिश्तेदारों ने शव को स्नान कराया और 10 जून 2017 को दोपहर 1–3 बजे के बीच मृतक को दफना दिया। उसने कहा कि होश में आने के बाद, उसने शव की तस्वीरें देखीं, जिससे पता चला कि गर्दन, हाथ और पैर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी की हत्या की गई है। अपीलार्थी चाहती थी कि शव को बाहर निकालकर जांच की जाए और उसका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि हत्यारे तक "पहुंचा जा सके"। 19 जून 2017 को शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन शरीर सड़न के एक उन्नत चरण में थी। जांच अधिकारी द्वारा मनोज श्रीवास्तव को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए आरोपित करता हुआ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। 5 अक्टूबर 2018 को विचारण के दौरान PW–1 के साक्ष्य दर्ज किए गए। PW–1 ने बयान दिया कि:

(i) उसकी बेटी को दूसरे प्रत्यर्थी, उसके पिता, माता, भाइयों और अन्य लोगों द्वारा अपर्याप्त दहेज लाने के लिए परेशान किया गया। बेटी की शादी को बचाने के लिए उसने अपनी बेटी और दामाद को आजाद नगर में बने मकान के साथ प्लॉट दिया था।

(ii) दूसरे प्रत्यर्थी से 9/10 जून 2017 की दरमियानी रात 3:00 बजे यह सूचना मिलने पर कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, पीडब्लू–1 अपने पति और बेटे के साथ दूसरे प्रत्यर्थी के घर पहुंची। और अपनी बेटी का शव फर्श पर पड़ा देखा और एक दुपट्टा चैनल पर लटका हुआ था;

(iii) शव को दूसरे प्रत्यर्थी और उसके रिश्तेदारों ने 10 जून 2017 को दोपहर में दफनाया था;

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(iv) शव की तस्वीरों से पता चलता है कि शरीर पर गर्दन, हाथ और पैरों पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, जिससे वह इस नतीजे पर पहुंची कि उसकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गयी थी।

(v) उसने 12 जून 2017 को थाना मझोला को हत्या की रिपोर्ट दी थी और उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की थी जिनके आदेश पर कब्र से शव निकाला गया था; तथा

(vi) दूसरा प्रत्यर्थी पुलिस के साथ मिलीभगत करके अपना नाम आरोप–पत्र से बाहर निकलवाने में कामयाब रहा।

25. 6 दिसंबर 2018 को जिरह के दौरान, अपीलार्थी से मुख्य परीक्षण के दौरान दी गयी गवाही पर प्रश्न किया गया था कि उसकी बेटी को दूसरे प्रत्यर्थी, उसके पिता,माँ और भाइयों के हाथों उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। पीडब्लू–1 ने जिरह के दौरान यह बताते हुए अपनी बात बरकरार रखा, कि घटना से एक रात पहले जब उसकी बेटी दूसरे प्रत्यर्थी के साथ उसके घर आई थी तो उसने पीडब्लू–1 को उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में बताया था। पीडब्लू–1 ने अपनी जिरह में आगे कहा कि उसे अपनी बेटी की मौत की सूचना दूसरे प्रत्यर्थी से सुबह 3:00 बजे मिली जब वह रमज़ान के महीने में *सहरी* की तैयारी कर रही थी। घटना स्थल पर पहुंचने पर पता चला कि जिस घर में दंपत्ति रहते थे , वहां केवल दूसरा प्रत्यर्थी मौजूद था। उसने कहा कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान के अलावा, फर्श बिल्कुल साफ पाया गया, और ऐसा लग रहा था जैसे इसे साफ किया गया हो। पीडब्लू–1 ने बताया कि उसकी बेटी के मुंह से दुर्गंध आ रही थी और मौके पर एक बोतल मिली जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। पीडब्लू –1 ने कहा कि घरेलू सामानों से कुछ भी गायब नहीं पाया गया जिससे चोरी की आशंका खत्म हो जाती है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

26. PW–2 (PW–1 का पुत्र और मृतक का भाई) ने 4 जून 2019 को साक्ष्य में गवाही दी जब उसने कहा कि 12 जुलाई 2017 को पुलिस ने नौ तस्वीरों, जो गवाह ने अपने मोबाइल से खींची थी, के अलावा तीन मोबाइल और चार सिम कार्ड को हिरासत में लिया था।

27. अपर सत्र न्यायाधीश का 29 जनवरी 2019 दिनांकित दूसरे प्रत्यर्थी को समन करने का आदेश सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर था। दूसरे प्रत्यर्थी को समन करने का आदेश साक्ष्य सामग्री के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और *हरदीप सिंह* के मामले में संविधान पीठ के निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित था। अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के प्रावधानों का अवलंब लेने का कारण इस तथ्य को बताया कि घटना ससुराल में हुई थी जहां घटना के घटित होने के समय केवल दूसरा प्रत्यर्थी और मृतक रात में रह रहे थे।

28. अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं पाई गई। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने ही इस आधार पर विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया था कि मनोज श्रीवास्तव के विरूद्ध धारा 306 के तहत एक अपराध के लिए विचारण चल रहा था और विचारण न्यायालय मौत के कारण की संभावना खोजने में लगा था। धारा 319 न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देती है जो किसी अपराध का दोषी प्रतीत होता है, जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान, साक्ष्यों से यह प्रतीत होता हो कि किसी व्यक्ति ने, जो आरोपी नहीं है, ने कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है। दूसरे प्रत्यर्थी को समन करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा विवेक का प्रयोग धारा 319 की आवश्यकताओं

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

को पूरा करता था और इस न्यायालय के पहले के निर्णयों में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप था। तथ्य यह है कि धारा 173 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर अपीलार्थी द्वारा एक विरोध याचिका दायर नहीं की गई थी, जिसने न्यायालय को सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर धारा 319 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शक्तिहीन नहीं किया। PW–1 और PW–2 के साक्ष्य, जिन्हें ऊपर उल्लिखित किया गया है, धारा 319 के तहत समन के आदेश को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्थिति को पूरा करते हैं। उच्च न्यायालय उस आधार का विश्लेषण करने में विफल रहा है जिसके आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने समन जारी किया था और धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के कथित प्रयोग में कुछ वाक्यों और उक्तियों में, धारा 319 के तहत अपर सत्र न्यायाधीश के एक सुविचारित आदेश को विस्थापित कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पोषणीय नहीं है और तदनुसार अपास्त किया जाएगा।

29. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के 12 अप्रैल 2019 दिनांकित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं। परिणामस्वरूप, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1, मुरादाबाद द्वारा 29 जनवरी 2019 को पारित आवेदन की अनुमति देने और सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दूसरे प्रत्यर्थी को समन जारी करने के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

30. लंबित आवेदन, यदि कोई, निस्तारित हो जाएंगे।

.....

(न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़)

.....

(न्यायमूर्ति हृषिकेष रॉय)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

नई दिल्ली

दिसंबर 10, 2019

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।